

detailed guidelines for the said policy ; and

(c) by what time the said instrument for implementation and the detailed guidelines are going to be released ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : (a) The Technology Policy Statement has been widely circulated and note of it is already being taken in the various decisions/actions of the Ministries, departments and agencies of the Government. The Government has also set up a committee under the chairmanship of Prof. M.C.K. Manon, Member Planning Commission to work out modalities and mechanisms for implementation of the technology policy and to monitor the progress in such implementation. The Committee has started functioning.

(b) A large number of issues involving various sectors of industry and many ministries have to be considered for developing the instruments and detailed guidelines for the implementation of the policy and this is being done.

(c) There are many facts in the Technology policy Statement for the implementation of which new instruments or guidelines are not necessary. For aspects which are new, instruments and, or, guidelines will have to be evolved and this is being done.

सुल्तानपुरी, दिल्ली में गोली

चलाए जाने से मारे गए

जल्मी हुए व्यक्ति

2402 श्री रघुनाथ सिंह वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुल्तानपुरी (दिल्ली) में गोली

चलाए जाने से कितने व्यक्ति मारे गए थे और कितने जल्मी हुए थे ; और

(ख) मृतकों के आश्रितों को क्या सहायता राहत दी गई है ; और

(ग) लोगों और पुलिस के बीच सद्भावना पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) 21 सितम्बर, 1983 को दिल्ली में सुल्तानपुरी में पुलिस गोलीबारी से 4 व्यक्ति मारे गये और 29 जल्मी हुये ।

(ख) 4 मृतकों के आश्रितों को 40 हजार रुपये की धनराशि और जल्मी व्यक्तियों को 58 हजार रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है ।

(ग) क्षेत्र के निवासियों और व्यापारिक एसोसिएशनों आदि के साथ पुलिस के जिला उप आयुक्त, पुलिस के सहायक आयुक्त और थानाअधिकारी प्रायः बैठकें करते हैं ताकि सद्भाव संबंध स्थापित किये जा सकें । पुलिस स्टेशनों में प्राप्त सभी शिकायतों पर उचित ध्यान दिया जाता है ।

देश में प्राणविक क्षति संयंत्रों की स्थापना

2403. श्री भीम सिंह :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री मनोहर लाल सेनी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :